

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिज्यू) अलेसे ।। 5769

दिनांक :- 25.03.2025


आदेश संख्या : 95/2024-25

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक एफ.1(7)() डीपीसी/सान्याअवि/2023/42765 दिनांक 11/08/2023 एवं एफ.1(7)(02792) डीपीसी/सान्याअवि/2025 दिनांक 08/07/2025 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की टी एस पी कैडर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जयसमंद उदयपुर (8002096)	0	0	0	0	0	1
2	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी नयागांव उदयपुर (8002095)	0	0	0	0	0	1
3	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दलोट प्रतापगढ़ (8002093)	0	0	0	0	0	1
4	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी धमोतर प्रतापगढ़ (8002094)	0	0	0	0	0	1
5	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुहागपुरा प्रतापगढ़ (8002092)	0	0	0	0	0	1
6	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सलूमबर (8002025)	0	0	0	0	0	1
	योग	0	0	0	0	0	6

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2651	3923	5899	12473
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2651	3923	5905	12479




(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिज्यू) अलेसे ।। 5769

दिनांक :- 25.03.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- संबंधित विभागाध्यक्ष
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- निजी सचिव, निदेशक ।
- पदस्थापन सहायक अलेसे ।। / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु



(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)